

**प्रेस नोट –**  
**थाना सकरार**

**दिनांक- 09/01/2025**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियों एवं अवैध शराब के विरुद्ध झांसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना सकरार पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्ता सत्यवती पत्नी रामकुमार निवासिनी ग्राम बंगरा धवा थाना उल्दन जनपद झांसी उम्र करीब 35 वर्ष के कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपियों में 20 ली0 अवैध कच्ची बरामद कर थाना हाजा पर मु0अ0सं0-04/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुये विधिक कार्यवाही की गयी।

**मु0अ0सं0 –**

मु0अ0सं0-04/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम

**नाम व पता अभियुक्ता** – सत्यवती पत्नी रामकुमार निवासिनी ग्राम बंगरा धवा थाना उल्दन जनपद झांसी उम्र करीब 35 वर्ष

**बरामदगी** – 20 ली0 अवैध कच्ची शराब

**गिरफ्तारी का स्थान-** सकरार सिद्धनपुरा खिरक जाने वाली रास्ता पर बहद ग्राम सकरार थाना सकरार जनपद झांसी दूरी करीब 02 किमी0 पश्चिम

**कार्यवाही करने वाली टीम के अधि0/कर्म गण का नाम-**

- 1 – अमीराम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सकरार झांसी
- 2 – उ0नि0 रघुनाथ सिंह थाना सकरार झांसी
- 3- का0 761 पुष्पेन्द्र सिंह थाना सकरार जनपद झांसी
- 4 – म0का0 1616 ममता थाना सकरार जनपद झांसी